भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1826

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

असम में पीडीएस

1826. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीब लाभार्थियों को वितरण के लिए निर्धारित चावल को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से अन्यत्र उपयोग कर निजी संस्थाओं को बेचा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चावल के अवैध रूप से अन्यत्र उपयोग की जांच शुरू की है तथा इस संबंध में जिम्मेदारी तय की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत गरीब लाभार्थियों को वितरण हेतु आबंटित चावल को निजी संस्थाओं को बेचकर उसके अन्यत्र उपयोग का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।
